दिनांक 23.09.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना गागलहेड़ी पुलिस द्वारा सरकारी विद्युत लाइन व ट्यूबवेल से विद्युत उपकरण चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए 04 शातिर चोर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे/निशानदेही पर चोरी गया माल बरामद

घटनाओं का विवरणः-

1. **दिनांक 20.09.2026** को वादी श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री भरत सिंह निवासी ग्राम सम्बलहेडी थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अमित कुमार उर्फ बुद्धु पुत्र रकम सिंह नि0 ग्राम सम्भलहेडी थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर उम्र 30 वर्ष व अज्ञात चोरों द्वारा वादी व गाँव के ही संजय कुमार s/o गजराज सिंह ,यशपाल सिह s/o ज्ञान सिंह ,राजवीर सिंह s/o नक्कल सिंह निवासी गण उपरोक्त की ट्यूबवेल पर जाने वाली बिजली की सरकारी एलटी लाईन के खम्भो के तार काटकर चोरी कर लेने की सूचना के सम्बन्ध में थाना गागलहेड़ी पर मु0अ0सं0 272/2026 धारा 303(2) बीएनएस के पंजीकृत कराया गया।
2. **दिनांक 21.09.2026** को वादी श्री रामकला पुत्र लच्छीराम निवासी ग्राम पाल्ली थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत मनोज उर्फ मोनू पुत्र पुन्नाराम नि0 बढेडी घोघू थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर व अज्ञात चोरो द्वारा वादी व गाँव के ही मेहताब पुत्र अब्दुल मजीद, श्याम सिंह पुत्र भूप सिंह , सचिन पुत्र सुरेन्द्र सिंह की ट्यूबवेल पर जाने वाली सरकारी बिजली की लाईन के खम्भो के तार काटकर चोरी कर लेने की सूचना के सम्बन्ध में थाना गागलहेड़ी पर मु0अ0सं0 274/2026 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत कराया गया।
3. **दिनांक 21.09.2026** को वादी श्री मनोज कुमार पुत्र योगेन्द्र निवासी पोस्ट बलियाखेड़ी थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोरों द्वारा वादी व गाँव के ही अरूण s/o ओमप्रकाश, योगन्द्र s/o बलवन्त , संजय s/o महेन्द्र , अशोक s/o रमेश चन्द,आदि की ट्यूबवेल की खिड़की तोड़कर ट्यूबवेल से समर सिबल का केविल व कटआउट , स्टार्टर की कोपर पत्ती व तार चोरी कर लेने की सूचना के सम्बन्ध में थाना गागलहेड़ी पर मु0अ0सं0 275/2026 धारा 303(2)/331(4) बीएनएस पंजीकृत कराया गया तथा विवेचना प्रारम्भ की गई।
4. **दिनांक 21.09.2026** को वादी मौ0 शाहरुख पुत्र मौ0 नाजिम निवासी ग्राम पापडेकी रसूलपुर थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोरों द्वारा वादी व गाँव के ही दीपक S/0 रघुवीर, लुकमान S/0 सुलेमान आदि की ट्यूबवेल की खिड़की तोड़कर ट्यूबवेल से समर सिबल का केबल , कटआउट , स्टार्टर व तार चोरी कर लेने की सूचना के सम्बन्ध में थाना गागलहेड़ी पर मु0अ0सं0 276/2026 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत कराया गया तथा विवेचना प्रारम्भ की गई।

पुलिस कार्यवाहीः- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा तत्काल उपरोक्त घटनाओं का संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु आदेश-निर्देश दिए गये। आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक गागलहेड़ी श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 23.09.2026 को सीसीटीवी कैमरे व मुखबिर की सूचना पर थाना गागलहेड़ी पुलिस द्वारा उपरोक्त मुकदमों में चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए, सरकारी विद्युत लाइन व ट्यूबवेलों से विद्युत उपकरण चोरी करने वाले गिरोह के **04 शातिर चोर/अभियुक्तगण 1. अमित कुमार उर्फ बुद्धु पुत्र रकम सिंह नि0 ग्राम सम्भलहेडी थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर, 2. मनोज उर्फ मोनू पुत्र पुन्नाराम नि0 बढेडी घोघू थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर, 3. विजय कुमार पुत्र कुलदीप सिंह नि0 ग्राम बढेडी घोघू थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर व 4. इरशाद उर्फ शेरू पुत्र नकली नि0 बढेडी घोघू थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर** को पशु पैठ के कोने पर स्थित आम के बाग से गिरफ्तार किया गया । कब्जे/निशानदेही पर चोरी गये माल बरामद । बरामदगी के आधार पर उपरोक्त मुकदमो में धारा

331(4),305(a),317(2),3(5),112(2) बीएनएस व धारा 136 विद्युत अधिनियम की वृद्धि की गयी । गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण:- *अभियुक्तगण ने पूछताछ करने पर बताया कि हम पाँचो व्यक्ति मिलकर खेतो में दिन के समय रेकी करते है तथा रात मे पोल पर बैल्ट से चढ़ कर बिजली के तार व ट्यूबवेल तोडकर तांबे के तार चोरी करते है । हम अपने पूर्व मे चोरी किये गये माल को बेचने जाने की फिराक मे थे ।*

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता

1. *अमित कुमार उर्फ बुद्धु पुत्र रकम सिंह नि0 ग्राम सम्भलहेडी थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर उम्र 30 वर्ष*
2. *मनोज उर्फ मोनू पुत्र पुन्नाराम नि0 बढेडी घोघू थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर उम्र 25 वर्ष*
3. *विजय कुमार पुत्र कुलदीप सिंह नि0 ग्राम बढेडी घोघू थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर उम्र 27 वर्ष*
4. *इरशाद उर्फ शेरू पुत्र नकली नि0 बढेडी घोघू थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर उम्र 33 वर्ष*

बरामदगी का विवरण:

- *01 कुंतल 03 कि0ग्रा0 तार एल्यूमिनियम*
- *5 कि0ग्रा0 तार तांबा*
- *01 तार काटने वाला कटर*
- *01 खम्बे पर चढने वाली बेल्ट*
- *01 लोहे का सब्बल*

आपराधिक इतिहास:- (अभियुक्त विजय कुमार)

1. *मु0अ0सं0 272/26 धारा 331(4),305(a),317(2),3(5),112(2) बीएनएस व धारा 136 वि0अधि0 थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर*
2. *मु0अ0सं0 274/26 धारा 331(4),305(a),317(2),3(5),112(2) बीएनएस व धारा 136 वि0अधि0 थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर*
3. *मु0अ0सं0 275/26 धारा 331(4),305(a),317(2),3(5),112(2) बीएनएस व धारा 136 वि0अधि0 थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर*
4. *मु0अ0सं0 276/26 धारा 331(4),305(a),317(2),3(5),112(2) बीएनएस व धारा 136 वि0अधि0 थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर*
5. *मु0अ0स0 303/29 धारा 366 भादवि0 थाना बड़गांव जनपद सहारनपुर*
6. *मु0अ0स0 075/24 धारा 392/411 भादवि0 थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर*
7. *मु0अ0स0 156/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर*
8. *मु0अ0स0 191/26 धारा 305(ए)/317(2)/331(4) बीएनएस थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर*
9. *मु0अ0स0 256/25 धारा 3005(ए)/317(2)/331(4) बीएनएस थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर*

आपराधिक इतिहास:- (अभियुक्त अमित कुमार उर्फ बुद्धू)

1. *मु0अ0सं0 272/26 धारा 331(4),305(a),317(2),3(5),112(2) बीएनएस व धारा 136 वि0अधि0 थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर*
2. *मु0अ0सं0 274/26 धारा 331(4),305(a),317(2),3(5),112(2) बीएनएस व धारा 136 वि0अधि0 थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर*
3. *मु0अ0सं0 275/26 धारा 331(4),305(a),317(2),3(5),112(2) बीएनएस व धारा 136 वि0अधि0 थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर*

4. मु0अ0सं0 276/26 धारा 331(4),305(a),317(2),3(5),112(2) बीएनएस व धारा 136 वि0अधि0 थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर

आपराधिक इतिहासः- (अभियुक्त मनोज उर्फ मोनू)

1. मु0अ0सं0 272/26 धारा 331(4),305(a),317(2),3(5),112(2) बीएनएस व धारा 136 वि0अधि0 थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 274/26 धारा 331(4),305(a),317(2),3(5),112(2) बीएनएस व धारा 136 वि0अधि0 थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 275/26 धारा 331(4),305(a),317(2),3(5),112(2) बीएनएस व धारा 136 वि0अधि0 थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 276/26 धारा 331(4),305(a),317(2),3(5),112(2) बीएनएस व धारा 136 वि0अधि0 थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर

आपराधिक इतिहासः- (अभियुक्त इरशाद उर्फ शेरू)

1. मु0अ0सं0 272/26 धारा 331(4),305(a),317(2),3(5),112(2) बीएनएस व धारा 136 वि0अधि0 थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 274/26 धारा 331(4),305(a),317(2),3(5),112(2) बीएनएस व धारा 136 वि0अधि0 थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 275/26 धारा 331(4),305(a),317(2),3(5),112(2) बीएनएस व धारा 136 वि0अधि0 थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 276/26 धारा 331(4),305(a),317(2),3(5),112(2) बीएनएस व धारा 136 वि0अधि0 थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम का नाम पता

1. श्री धर्मेन्द्र कुमार प्रभारी निरीक्षक थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर।
2. वरि0 उ0नि0 श्री अतुल कुमार थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर।
3. उ0नि0 श्री अभिनव कुमार थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर।
4. उ0नि0 श्री राकेश कुमार सिंह थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर।
5. का0 1345 सुशान्त कपिल थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर।
6. का0 1755 अनुज कुमार थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर।
7. का0 405 गौरव राठी थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर।
8. का0 398 नरदेव थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर।
9. का0 2010 विक्रांत सिंह थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर।
10. का0 2443 मौ0 यासीन थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक- 23.09.2026

थाना मण्डी, सहारनपुर पुलिस द्वारा चेकिंग व दबिश के दौरान 02 वारण्टी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह राणा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 23.09.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली मण्डी पुलिस द्वारा चेकिंग व दबिश के दौरान ***02 वारण्टी अभियुक्तगण 1.अलीम पुत्र मकसूद निवासी पीर वाली गली नं0 6 थाना मण्डी जनपद सहारनपुर व 2. कलीम पुत्र मकसूद निवासी पीर वाली गली नं0 6 थाना मण्डी जनपद सहारनपुर*** *को सम्बन्धित वाद सं0 193/25 धारा 498ए भादवि (सिविल जज(जू0डि0)एफटीसी (महिलाओं के विरुद्ध अपराध) सहारनपुर) में पीर वाली गली से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1. *सलीम पुत्र मकसूद निवासी पीर वाली गली न0 06 थाना मण्डी सहारनपुर*
2. *कलीम पुत्र मकसूद निवासी पीर वाली गली न0 6 थाना मण्डी सहारनपुर*

गिरफ्तार अभियुक्तगण अलीम व कलीम का आपराधि इतिहास-

1. *मु0अ0स0 223/2022 धारा 498ए थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. *उ0नि0 श्री जगपाल सिंह थाना मण्डी जनपद सहारनपुर*
2. *का0 1600 मनोज आर्य थाना मण्डी जनपद सहारनपुर*
3. *रि0का0 1186 सुमित कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर*

दिनांक- 23-09-2026

-प्रेस नोट-

"ऑपरेशन सवेरा"

"नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"

सहारनपुर पुलिस की नशा तस्करों के विरूद्ध कडी कार्यवाही

थाना फतेहपुर पुलिस का मादक पदार्थो की तस्करी पर करारा प्रहार 01 तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 86 ग्राम अवैध चरस बरामद

*अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों/नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंन्धित दवाओं की तस्करी / बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदो में **"ऑपरेशन सवेरा" – "नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"** अभियान चलाया जा रहा है।*

*इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे नशीलें पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार मे शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान "आपरेशन सवेरा" के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री प्रमोद कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 23.09.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान **01 नशा तस्कर अभियुक्त सद्दाम पुत्र सय्यद निवासी ग्राम दतौली मुगल थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर** को **भोगपुर की पुलिया से एसबीआई बैंक के सामने जाने वाले रास्ते** से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 86 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना फतेहपुर पर मु0अ0सं0 408/26 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के पंजीकृत किया गया है अभियुक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किये जा रहे है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

सद्दाम पुत्र सैय्यद निवासी ग्राम दतौली मुगल थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण -

- *86 ग्राम चरस*

आपराधिक इतिहास –

1. *मु0अ0सं0 479/23 धारा 148/308/323/452/504/506 भादवि थाना देवबन्द सहारनपुर*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. *प्रभारी निरीक्षक श्री प्रमोद कुमार सिंह थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर*
2. *उ0नि0 श्री बबलू कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर*
3. *है0का0 581 लक्ष्मी प्रसाद थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर*
4. *है0का0 456 बबलू राणा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर*

दिनांक- 23-09-2026

-प्रेस नोट-

"ऑपरेशन सवेरा"

"नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"

सहारनपुर पुलिस की नशा तस्करों के विरूद्ध कडी कार्यवाही

थाना फतेहपुर पुलिस का मादक पदार्थो की तस्करी पर करारा प्रहार 01 नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 13.60 ग्राम अवैध स्मैक बरामद

*अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों /नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंन्धित दवाओं की तस्करी/बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदो में **"ऑपरेशन सवेरा" – "नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"** अभियान चलाया जा रहा है।*

*वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे नशीलें पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार मे शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान "आपरेशन सवेरा" के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री प्रमोद कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 22.09.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान **01 नशा तस्कर अभियुक्त सद्दाम पुत्र शमीम निवासी ग्राम दतोली मुगल थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर** को **ग्राम दतोली मुगल व ग्राम लखनोती के मध्य बम्बा की पुलिया से** गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से कुल 13.60 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना फतेहपुर पर मु0अ0सं0 407/26 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के पंजीकृत किया गया। अभियुक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किये जा रहे है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

सद्दाम पुत्र शमीम निवासी ग्राम दतोली मुगल थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण -

- *13.60 ग्राम स्मैक*

आपराधिक इतिहास –

1. *मु0अ0सं0 278/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर*
2. *मु0अ0सं0 71/24 धारा 63 आबकारी अधि0 थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर*
3. *मु0अ0सं0 365/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. *प्रभारी निरीक्षक श्री प्रमोद कुमार सिंह थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर*
2. *उ0नि0 श्री अमित सोनी थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर*
3. *है0का0 307 प्रदीप कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर*
4. *का0 244 धर्मेन्द्र कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर*
5. *का0 1323 कुलदीप कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर*

दिनांक- 23-09-2026

-प्रेस नोट-

"ऑपरेशन सवेरा"

"नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"

सहारनपुर पुलिस की नशा तस्करों के विरूद्ध कडी कार्यवाही

थाना फतेहपुर पुलिस का मादक पदार्थो की तस्करी पर करारा प्रहार 01 तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 80 अवैध चरस बरामद

*अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों / नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंन्धित दवाओं की तस्करी / बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदो में **"ऑपरेशन सवेरा" – "नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"** अभियान चलाया जा रहा है।*

*इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे नशीलें पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार मे शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान "आपरेशन सवेरा" के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री प्रमोद कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 23.09.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान **01 नशा तस्कर अभियुक्त नईम पुत्र दिलशाद नि0 ग्राम दतौली मुगल थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर** को दुआ कार रिपेयरिंग की दुकान के सामने से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 80 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना फतेहपुर पर मु0अ0सं0 409/26 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के पंजीकृत किया गया है अभियुक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किये जा रहे है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

नईम पुत्र दिलशाद निवासी ग्राम दतौली मुगल थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण -

- 80 ग्राम चरस

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. प्रभारी निरीक्षक श्री प्रमोद कुमार सिंह थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री सुबोध शर्मा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
3. है0का0 1196 गौरव कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
4. है0का0 851 विपिन पाठक थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर

दिनांकः 23.09.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली मण्डी पुलिस द्वारा मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए 01 वाहन चोर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे/निशानदेही पर चोरी की 01 मोटरसाइकिल व 1130 रूपये बरामद

घटनाओं का विवरणः

1. दिनांक 14.09.2026 को वादी नौशाद अहमद पुत्र अल्लाह बन्दा निवासी- गली नं० 14, आज़ाद कालोनी, थाना मण्डी, जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत दिनांक 13.09.2026 को अज्ञात चोर द्वारा वादी की मोटरसाईकिल स्पलेन्डर प्लस UP11CV5328 को मैसूर पैलेस के सामने से चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना मण्डी पर **मु0अ0सं0 473/26 धारा 303(2) बीएनएस** के पंजीकृत किया गया था

2. दिनांक 22.09.2026 को वादी श्री हसीन अहमद उर्फ सोनी पुत्र जमीर अहमद निवासी रायावाला दर्जियो वाली गली थाना मण्डी सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी की मोटरसाईकिल हीरो होण्डा CT – 100 रंग लाल UP 11 2095 चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना मण्डी पर **मु0अ0सं0 485/26 धारा 303(2) बीएनएस** के पंजीकृत किया गया था

पुलिस कार्यवाहीः-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में वाहन चोरी की घटनाओं की रोकथाम व चोरी की घटनाओं में लिप्त शातिर वाहन चोर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाकर संघन चैकिंग की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक मण्डी श्री वीरेन्द्र सिंह राणा के कुशल नेतृत्व में दिनांक 22.09.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा चैकिंग व गश्त के दौरान मे वाहन चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए प्रकाश में आये **01 वाहन चोर अभियुक्त अकरम पुत्र मुख्तयार निवासी गली न0- 06 धोबीवाला थाना मण्डी सहारनपुर** को मण्डी समिति के अन्दर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के **कब्जे/निशानदेही** पर **01 मोटरसाइकिल हीरो होण्डा CT – 100** (सम्बन्धित मु0अ0सं0 485/26 धारा 303(2) बीएनएस) तथा स्पलेन्डर प्लस मोटरसाइकिल को बेचकर अर्जित की गयी धनराशि में से **1130/- रूपये** की नकदी (सम्बन्धित मु0अ0सं0 473/26 धारा 303(2) बीएनएस) बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर उपरोक्त मुकदमों धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अकरम पुत्र मुख्तयार निवासी गली न0- 06 धोबीवाला थाना मण्डी सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

- 01 मोटरसाइकिल हीरो होण्डा सीटी-100 (सम्बन्धित मु0अ0सं0 485/26 धारा 303(2)317(2) बीएनएस)
- 1130 रूपये नकद (सम्बन्धित मु0अ0सं0 473/26 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. प्र0नि0 श्री वीरेन्द्र सिंह राणा थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री पंकज मिश्रा थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री उपेन्द्र सिंह थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
4. है0 का0 848 कपिल कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
5. का0 1570 रवि कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक- 23.09.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबंद पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल व 01 फर्जा नम्बर प्लेट बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध व चोरी/वाहन चोरी की घटनाओं की रोकथाम व चोरी की घटनाओं में लिप्त शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग व गश्त की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबंद के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक देवबन्द श्री संदीप बालियान के कुशल नेतृत्व में दिनांक 22.09.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना देवबन्द पुलिस द्वारा चेकिंग व गस्त के दौरान ***02 शातिर अभियुक्तगण 1. रिंकू पुत्र कांशीराम निवासी मौहल्ला महेशपुर चुंगी गऊशाला के पास रादौर थाना रादौर जिला यमुनानगर हाल पता ग्राम कपूरी गोविन्दपुर थाना देवबंद जिला सहारनपुर व 2. सम्मी पुत्र श्री धारा सिंह निवासी मौहल्ला माया पैलेस के पास यमुनानगर थाना सिटी कोतवाली जिला यमुनानगर हाल पता गांव कपूरी गोविन्दपुर थाना देवबंद जिला सहारनपुर*** *को थाना देवबन्द क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल HR02AJ6053 व 01 फर्जी नम्बर प्लेट बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना देवबन्द पर मु0अ0सं0 687/2026 धारा 317(2)/345(3) बीएनएस के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता

1. रिंकू पुत्र कांशीराम निवासी मौहल्ला महेशपुर चुंगी गऊशाला के पास रादौर थाना रादौर जिला यमुनानगर हाल पता ग्राम कपूरी गोविन्दपुर थाना देवबंद जिला सहारनपुर

2. सम्मी पुत्र श्री धारा सिंह निवासी मौहल्ला माया पैलेस के पास यमुनानगर थाना सिटी कोतवाली जिला यमुनानगर हाल पता गांव कपूरी गोविन्दपुर थाना देवबंद जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

- *01 चोरी मोटरसाइकिल HR02AJ6053*
- *01 फर्जी नम्बर प्लेट*

गिरफ्तारी करने वाली टीम

1. प्र0नि0 श्री संदीप बालियान थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री प्रदीप कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 1167 संजीव तालियान थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
4. है0का0 949 विकास कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
5. है0का0 1050 नितिन कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक: 23.09.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़ पुलिस द्वारा नलकूप से विद्युत उपकरण चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 800 ग्राम तांबे का तार बरामद

घटना का विवरण: –

दिनांक 22.09.2026 को वादी श्री विनय कुमार पुत्र ब्रहम्मदत्त त्यागी निवासी ग्राम अध्याना थाना नकुड़ सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त द्वारा गांव अध्याना के जंगल में स्थित ट्यूबवैल से बिजली का तांबे का तार चोरी कर ले जाने की सूचना पर थाना नकुड पर मु0अ0सं0 496/26 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस के पंजीकृत कराया गया।

पुलिस कार्यवाही: –

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल नलकूप से विद्युत उपकरण चोरी की घटना का शीघ्र अनवारण करने व अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये थे। आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक नकुड़ श्री ज्ञानेश्वर बौद्ध के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 23.09.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना नकुड़ पुलिस द्वारा चेकिंग व गश्त के दौरान ***01 शातिर अभियुक्त सुहैल पुत्र इरफान निवासी राधा बिहार कालोनी कस्बा व थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर*** *को थाना नकुड़ क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। कब्जे से 800 ग्राम तांबे तार बरामद। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्ध की गई। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

सुहैल पुत्र इरफान निवासी राधा बिहार कालोनी कस्बा व थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:-

800 ग्राम तांबे का तार

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री ज्ञानेश्वर बौद्ध थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर,
2. उ0नि0 श्री अजीत सिंह थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर,
3. म0कां0 814 प्रियंका थाना नकुड सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 23.09.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध चाकू बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, वांछित/वारंटी व अवैध शस्त्र रखने/तस्करी करने वाले अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है । अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक कुतुबशेर श्री संतोष सिंह त्यागी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 23.09.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान ***01 शातिर अभियुक्त अंकुर पुत्र जोगिन्दर निवासी नवीनगर ट्रांसफार्मर वाली गली थाना सदरबाजार जिला सहारनपुर*** *को रूपडी नहर शमशान घाट के पास से गिरफ्तार किया गया । कब्जे से 01 नाजायज चाकू बरामद हुआ । बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0-441/26 धारा 4/25 आयुध अधिनियम के पंजीकृत किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करते हए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

अंकुर पुत्र जोगिन्दर निवासी नवीनगर ट्रांसफार्मर वाली गली थाना सदरबाजार जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

- *01 नाजायज चाकू*

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 36/26 धारा 4/25 आ0अधि थाना जीआरपी जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नामः-

1. *उ0नि0 कुलवंत सिंह मलिक थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।*
2. *का0 1913 राजन कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।*
3. *का0 2245 अंशु यादव थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।*

दिनांक 23/09/2026

-प्रेस नोट-

"ऑपरेशन सवेरा"

"नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 02 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 40 ग्राम अवैध स्मैक (कीमत करीब 80,000/- रूपये) बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों / नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंन्धित दवाओं की तस्करी / बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदो में "ऑपरेशन सवेरा" – "नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर" अभियान चलाया जा रहा है।

*इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे नशीलें पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार मे शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान **"आपरेशन सवेरा"** के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री इन्द्रेश कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 22/09/2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना गंगोह पुलिस द्वारा चेकिंग व गश्त के दौरान **02 शातिर नशा तस्कर अभियुक्तगण 1. रहीश उर्फ काला पुत्र असगर नि0 ग्राम उमाही थाना नांगल जिला सहारनपुर हाल नि0 ग्राम नया कुण्डा थाना गंगोह जिल सहारनपुर 2. जावेद पुत्र आबिद नि0 ग्राम उमाही थाना नांगल जिला सहारनपुर** को ग्राम नया कुण्डा से चौसाना जाने वाले कच्चे रास्ते पर आम के बाग से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त **रहीश उर्फ काला** उपरोक्त से 20 ग्राम व अभियुक्त **जावेद** उपरोक्त से 20 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना गंगोह पर मु0अ0सं0 448/26 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया है। अभियुक्तगण उपरोक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. *रहीश उर्फ काला पुत्र असगर नि0 ग्राम उमाही थाना नांगल जिला सहारनपुर हाल नि0 ग्राम नया कुण्डा थाना गंगोह जिल सहारनपुर उम्र करीब 28 वर्ष*
2. *जावेद पुत्र आबिद नि0 ग्राम उमाही थाना नांगल जिला सहारनपुर उम्र करीब 34 वर्ष*

बरामदगी का विवरणः-

- *20 ग्राम अवैध स्मैक (अभियुक्त रहीश उर्फ काला से बरामद)*
- *20 ग्राम अवैध स्मैक (अभियुक्त जावेद से बरामद)*

आपराधिक इतिहास अभियुक्त रहीश उर्फ काला

1. मु0अ0सं0 535/19 धारा 379/411 भादवि थाना गंगोह जिला सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 257/19 धारा 380/411 भादवि थाना नांगल जिला सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 258/19 धारा 4/25 आयुद्ध अधि0 थाना नांगल जिला सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 260/19 धारा 465 भादवि थाना नांगल जिला सहारनपुर
5. मु0अ0सं0 330/19 धारा 60(1) आबकारी अधि0 थाना नागल जिला सहारनपुर
6. मु0अ0सं0 23/20 धारा 4/25 आयुद्ध अधि0 थाना नागल जिला सहारनपुर
7. मु0अ0सं0 54/20 धारा 2/3 गैंगस्टर अधि0 थाना नागल जिला सहारनपुर
8. मु0अ0सं0 51/25 धारा 317(5) बीएनएस थाना तीतरो जिला सहारनपुर
9. मु0अ0सं0 327/20 धारा 414/165 भादवि व 3/25 आयुद्ध अधि0 थाना नागल जिला सहारनपुर
10. मु0अ0सं0 328/20 धारा 3/25 आयुद्ध अधि0 थाना नागल जिला सहारनपुर
11. मु0अ0सं0 474/22 धारा 398/401 भादवि थाना झिंझाना जिला शामली
12. मु0अ0सं0 476/22 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना झिंझाना जिला शामली
13. मु0अ0सं0 478/22 धारा 223/224 भादवि थाना झिंझाना जिला शामली
14. मु0अ0सं0 306/23 धारा 60(1) आबकारी अधि0 व 272/273 भादवि थाना झिंझाना जिला शामली
15. मु0अ0सं0 402/26 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट थाना झिंझाना जिला शामली (वांछित)
16. मु0अ0सं0 448/26 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट थाना गंगोह जिला सहारनपुर

आपराधिक इतिहास अभियुक्त जावेद

1. मु0अ0सं0 117/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस व 4/25 आयुद्ध अधि0 थाना बिहारीगढ
2. मु0अ0सं0 292/22 धारा 414/420/465 भादवि थाना को0 मण्डी जिला सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 402/20 धारा 3/25 आयुद्ध अधि0 थाना नागल जिला सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 146/21 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट थाना नागल जिला सहारनपुर
5. मु0अ0सं0 160/26 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना नागल जिला सहारनपुर
6. मु0अ0सं0 403/20 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना नागल जिला सहारनपुर
7. मु0अ0सं0 448/26 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट थाना गंगोह जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री इन्द्रेश कुमार थाना गंगोह जिला सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री सतेन्द्र कुमार थाना गंगोह जिला सहारनपुर
3. है0का0 261 मनोज कुमार थाना गंगोह जिला सहारनपुर
4. का0 962 मोहित कुमार थाना गंगोह जिला सहारनपुर
5. का0 963 जितेन्द्र कुमार थाना गंगोह जिला सहारनपुर

दिनांक- 23.09.2026

-प्रेस नोट-

सहारनपुर पुलिस की अवैध खनन के विरूद्ध बड़ी कार्यवाही

थाना चिलकाना पुलिस द्वारा बिना रॉयल्टी के अवैध खनन परिवहन करने वाले एक डम्फर को किया गया सीज

*अवगत कराना है कि **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर** के निर्देशन में अवैध खनन की रोकथाम व अवैध खनन करने वालो के विरूद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाकर कड़ी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी चिलकाना श्री अक्षय शर्मा के नेतृत्व में थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा अवैध खनन सामग्री परिवहन की रोकथाम हेतु सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है । इसी क्रम में आज दिनांक 23.09.2026 को थाना चिलकाना पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान दुमझेडा मार्ग से 01 डम्फर HR 69 F 9623 को बिना रायल्टी के खनन सामग्री का अवैध रूप से परिवहन करते पाये जाने के कारण मय अवैध खनन सामग्री के **सीज कर** थाना परिसर में खड़ा कराया गया। उपरोक्त प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही कर रिपोर्ट सम्बन्धित विभाग को प्रेषित की जा रही है।*

सीज वाहनों का विवरण

- *01 डम्फर HR 69 F9623*

सीज करने वाली पुलिस टीम—

1. *थानाध्यक्ष श्री अक्षय शर्मा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर*
2. *उ0नि0 श्री रवि कुमार थाना चिलकाना, जनपद सहारनपुर*
3. *रि0का0 611 अमित कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर*
4. *रि0का0 622 संजीव कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर*

दिनांकः 23-09-2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा कानून एवं शाति व्यवस्था भंग होने की आशंका के दृष्टिगत 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अन्तर्गत धारा 170/126/135 बीएनएसएस के तहत चालानी कार्यवाही की गयी

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम हेतु कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग व गश्त की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री प्रमोद कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व आज दिनांक 23.09.2026 को थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा चेकिंग व गश्त के दौरान ग्राम हुसैनपुर नवादा मे शान्ति व्यवस्था भंग करने के प्रयास करने वाले ***02 अभियुक्तगण 1. राजकुमार पुत्र मेहर सिंह निवासी हुसैनपुर थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर व 2. अनिल पुत्र सुरेश निवासी हुसैनपुर नवादा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर*** *को थाना क्षेत्र फतेहपुर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 170/126/135 बीएनएसएस के तहत प्रभावी कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1. राजकुमार पुत्र मेहर सिंह निवासी हुसैनपुर थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
2. अनिल पुत्र सुरेश निवासी हुसैनपुर नवादा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री प्रमोद कुमार सिंह थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
2. म0उ0नि0 मिथलेश राठौर थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
3. म0है0का0 1099 नीरज राठौर थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
4. रि0का0 832 ममता थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
5. रि0का0 830 वीरवती थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
6. रि0का0 805 इन्द्रपाल सिंह थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 23-09-2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला फुसलाकर लेने जाने व दुष्कर्म के मुकदमें में प्रकाश में आये वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का विवरणः- *दिनांक 09.08.2026 को वादी की लिखित तहरीर बावत अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी की पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध मे थाना फतेहपुर पर मु0अ0सं0 312/26 धारा 137(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान मुकदमा उपरोक्त में नाबालिग अपहर्ता को सकुशल बरामद करते हुए अभियुक्त दीपांशू पुत्र किरणपाल निवासी ग्राम घयाना थाना देवबन्द जिला सहारनपुर हाल निवासी खजूरवाला थाना नागल जिला सहारनपुर का नाम प्रकाश मे आया । विवेचना के क्रम में बयानो के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 64(2)m बीएनएस व ¾ पाक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी।*

पुलिस कार्यवाहीः- *वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल उपरोक्त घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये । आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक फतेहपुर श्री प्रमोद कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 23.09.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा चेकिंग व दबिश के दौरान मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये* ***वांछित अभियुक्त दीपांशू पुत्र किरणपाल निवासी ग्राम घयाना थाना देवबन्द जिला सहारनपुर हाल निवासी खजूरवाला थाना नागल जिला सहारनपुर*** *को* ***ग्राम गन्देवडा तिराहा से*** *गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

दीपांशू पुत्र किरणपाल निवासी ग्राम घयाना थाना देवबन्द जिला सहारनपुर हाल निवासी खजूरवाला थाना नागल जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. *प्रभारी निरीक्षक श्री प्रमोद कुमार सिंह थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर*
2. *उ0नि0 श्री सुबोध शर्मा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर*
3. *है0का0 1196 गौरव कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर*

दिनांक- 23.09.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना बिहारीगढ, सहारनपुर पुलिस द्वारा दुष्कर्म के मुकदमें में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का विवरणः- *दिनांक 21.09.2026 को वादिया की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त अनस पुत्र इमरान निवासी ताल्हापुर थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर के द्वारा वादिया की अश्लील फोटो/वीडियो बना लेने एवं ब्लैकमेल कर शारीरिक शोषण कर जबरदस्ती सम्बन्ध बनाने व गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना बिहारीगढ़ पर मु0अ0सं0 160/26 धारा 64(1)/352/351(2) बीएनएस के पंजीकृत कराया गया।*

पुलिस कार्यवाहीः- *वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना के तत्काल संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आदेश निर्देश दिये गये। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष बिहारीगढ श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में दिनांक 22.09.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना बिहारीगढ़ पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में* ***वांछित अभियुक्त अनस पुत्र इमरान निवासी ताल्हापुर थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर*** *को सुन्दरपुर तिराहे से आगे मदरसे से पहले सर्विस रोड से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अनस पुत्र इमरान निवासी ताल्हापुर थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. *थानाध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र कुमार थाना बिहारीगढ़ सहारनपुर*
2. *उ0नि0 श्री ब्रजपाल सिंह थाना बिहारीगढ़ सहारनपुर*
3. *उ0नि0 श्री अशोक कुमार थाना बिहारीगढ़ सहारनपुर*

दिनांक- 23.09.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना देवबंद पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान 03 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे 14 रास कटिया (भैंस) व 01 वाहन महिन्द्रा पिकअप बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व अवैध रूप से पशुओं तस्करी/कटान की रोकथाम हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग की जा रही है । इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबंद के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक देवबन्द श्री संदीप बालियान के कुशल नेतृत्व में दिनांक 23.09.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना देवबन्द पुलिस द्वारा चेकिंग व गस्त के दौरान ***03 शातिर अभियुक्तगण 1. इंशान खांन पुत्र मदार बक्श निवासी मौहल्ला ग्येकन कस्बा मोहन्दी थाना मोहन्दी जिला लखीमपुर खीरी, 2. जहरउद्दीन पुत्र लच्छी निवासी गुरसन्डा थाना पिसावा जिला सीतापुर व 3. रिजवान पुत्र मौ मुन्शी निवासी गुरसन्डा थाना पिसावा जिला सीतापुर*** *को थाना देवबन्द क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्तगण के कब्जे से 14 रास कटिया (भैंस) व एक अदद महिन्द्रा पिकअप UP58AT8631 बरामद । बरामद महिन्द्रा पिकअप वाहन को अन्तर्गत धारा एमवी एक्ट में सीज किया गया । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना देवबन्द पर मु0अ0स0- 688/2026 धारा 3/11 पशु क्रूरता अधिनियम के पंजीकृत किया गया । गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।*

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता

1. इंशान खांन पुत्र मदार बक्श निवासी मौहल्ला ग्येकन कस्बा मोहन्दी थाना मोहन्दी जिला लखीमपुरखीरी
2. जहरउद्दीन पुत्र लच्छी निवासी गुरसन्डा थाना पिसावा जिला सीतापुर
3. रिजवान पुत्र मौ मुन्शी निवासी गुरसन्डा थाना पिसावा जिला सीतापुर

बरामदगी का विवरणः-

- *14 रास कटिया (भैंस)*
- *01 अदद महिन्द्रा पिकअप UP58AT8631*

गिरफ्तारी करने वाली टीम

1. प्र0नि0 श्री संदीप बालियान थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर ।
2. उ0नि0 श्री रवि कुमार वर्मा थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर ।
3. है0का0 341 बिपिन कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर ।
4. का0 2309 प्रेमचन्द सिहं थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर ।
5. है0का0 274 रवि तोमर थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर ।
6. हो0गा0 सलेख चन्द थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर ।

दिनांक- 23.09.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर मिशन शक्ति एण्टीरोमियों टीम द्वारा मिशन शक्ति फेज-5.0 के तहत एक सराहनीय पहल करते हुए परिजनों से बिछड़ी 11 वर्षीय बालिका को सकुशल उसके परिजनों के सुपुर्द किया गया

*अवगत कराना है कि **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर** के निर्देशन में चलाए जा रहे **अभियान मिशन शक्ति फेज-5.0 के द्वितीय चरण** के अंतर्गत घर से बिछड़े एवं गुमशुदा बच्चों को उनके परिजनों से मिलाने हेतु अभियान चलाया जा रहा है । उक्त अभियान के क्रम में **पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण** तथा **प्रभारी निरीक्षक थाना फतेहपुर के कुशल नेतृत्व** में दिनांक **23.09.2026** को मिशन शक्ति/एंटी रोमियो टीम द्वारा क्षेत्र में चेकिंग एवं भ्रमण किया जा रहा था। इसी दौरान **महिला उपनिरीक्षक मिथलेश राठौर एवं पुलिस टीम** कस्बा छुटमलपुर में चेकिंग करते हुए **बस स्टैंड छुटमलपुर** के पास पहुंची, जहां एक **नाबालिग बालिका लावारिस अवस्था में रोती हुई** मिली। मिशन शक्ति टीम द्वारा बालिका को सांत्वना देते हुए प्यार एवं विश्वास के साथ पूछताछ की गई । बालिका ने अपना नाम **तनु पुत्री सिकंदर, निवासी पुरानी कालसी, जनपद देहरादून, उत्तराखंड उम्र करीब 11 वर्ष** बताया । बालिका ने बताया कि वह अपने माता-पिता से बिछड़ गई है। पुलिस टीम द्वारा बालिका से उसके माता-पिता के मोबाइल नंबर की जानकारी प्राप्त कर तत्काल उसके परिजनों से संपर्क किया गया तथा बालिका के सुरक्षित मिलने की सूचना दी गई। परिजनों को थाना फतेहपुर आने हेतु सूचित किया गया। परिजनों के थाना फतेहपुर पहुंचने पर **बालिका तनु को उसके पिता सिकंदर एवं माता उर्मिला को सकुशल सुपुर्द** किया गया। अपनी पुत्री को सकुशल पाकर माता-पिता अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उन्होंने **मिशन शक्ति/एंटी रोमियो टीम एवं थाना फतेहपुर पुलिस का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद दिया।***

सहारनपुर पुलिस द्वारा मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत महिला एवं बालिका सुरक्षा के साथ-साथ बिछड़े एवं गुमशुदा बच्चों को उनके परिजनों से मिलाने का कार्य निरंतर किया जा रहा है।

पुलिस टीम का विवरणः-

1. *म0उ0नि0 मिथलेश राठौर थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर*
2. *म0है0का0 1099 नीरज राठौर थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर*
3. *म0का0 830 वीरवती थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर*

दिनांकः 23.09.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़, सहारनपुर पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के मुकदमें में 03 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का विवरणः –

दिनांक 22.09.2026 को वादी श्री आदर्शवीर पुत्र महावीर सिंह निवासी सांपला बेगमपुर थाना नकुड तहसील नकुड जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण द्वारा सांपला बेगमपुर स्थित पैट्रोल पम्प पर पैट्रोल पम्प के सेल्समैन व चौकीदार के साथ के साथ हमलावर होकर जान से मारने की नियत से मारपीट करना, जान से मारने की धमकी देना व रूपये लूट लेने के सम्बन्ध में मु0अ0स0 495/26 धारा 191(2)/191(3)/131/115(2)/109(1)/351(3)/310(2) बीएनएस पंजीकृत कराया गया था। विवेचना के क्रम में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर धारा 310(2) बीएनएस का विलोपन किया गया।

पुलिस कार्यवाहीः –

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर घटना में लिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये थे। आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक नकुड़ श्री ज्ञानेश्वर बौद्ध के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 23.09.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना नकुड़ पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान हत्या के प्रयास के मुकदमें में **03 वांछित अभियुक्तगण 1. विनय उर्फ शौरभ पुत्र रमेश निवासी ग्राम बाकरपुर थाना नकुड जिला सहारनपुर, 2. अभिषेक पुत्र शिवा निवासी ग्राम बाकरपुर थाना नकुड जिला सहारनपुर व 3. शुभम पुत्र विजयपाल निवासी ग्राम पहांशू थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर** को ग्राम बाकरपुर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरणः-

पूछताछ के दौरान अभियुक्तगण ने बताया कि दिनांक **21.09.2026** की शाम विनय उर्फ शौरभ पुत्र रमेश ने कस्बा सरसावा में साथियों को पार्टी दी थी। रात्रि करीब **11:30 बजे** वापस नकुड़ जाते समय मोटरसाइकिल का पेट्रोल खत्म होने पर सभी **सांपला बेगमपुर अड्डे स्थित इंडियन ऑयल पेट्रोल पम्प** पहुंचे। मशीन बंद होने के कारण पेट्रोल देने से मना करने पर गुस्से में अभियुक्तगण ने पेट्रोल पम्प के **सेल्समैन व चौकीदार के साथ मारपीट कर दी।**

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरणः-

1. विनय उर्फ शौरभ पुत्र रमेश निवासी ग्राम बाकरपुर थाना नकुड जिला सहारनपुर।
2. अभिषेक पुत्र शिवा निवासी ग्राम बाकरपुर थाना नकुड जिला सहारनपुर।
3. शुभम पुत्र विजयपाल निवासी ग्राम पहांशू थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर।

अभियुक्त विनय उपरोक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 424/22 धारा 147/148/149/307/323/324/352 भादवि थाना नकुड सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 427/22 धारा 3/25/27 आयुद्ध अधि0 थाना नकुड सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री ज्ञानेश्वर बौद्ध थाना नकुड़ सहारनपुर
2. निरीक्षक श्री संजीव कुमार थाना नकुड़ सहारनपुर
3. उ0नि0 सौरभ राठौर थाना नकुड सहारनपुर
4. का0 946 आजाद पाल थाना नकुड सहारनपुर
5. का0 1997 विनीत चौधरी थाना नकुड सहारनपुर
6. का0 202 विवेक कुमार थाना नकुड सहारनपुर

दिनांक –23.09.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना रामपुर मनिहारान, सहारनपुर पुलिस द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म के मुकदमें में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

***घटना का विवरण* –** *दिनांक 19.08.2026 को वादिया की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त गगन सैनी पुत्र विजय सैनी निवासी ग्राम नैनखेडी थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर द्वारा वादिया के घर मे घुस कर वादिया के साथ छेडछाड करने व अपमानित करने के सम्बन्ध मे थाना रामपुर मनिहारान पर मु0अ0सं0 259/2026 धारा 64(1),75,76,79,333,351(3) बीएनएस व ¾ पोक्सो एक्ट के पंजीकृत किया गया।*

पुलिस कार्यवाही - *अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,सहारनपुर के निर्देशन मे अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री राकेश कुमार के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 23.09.26 को मुखबिर की सूचना पर थाना रामपुर मनिहारान पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में* ***वांछित अभियुक्त गगन सैनी पुत्र विजय सैनी निवासी ग्राम नैनखेडी थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर*** *को फ्लाईओवर के पास से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

गगन सैनी पुत्र विजय सैनी निवासी ग्राम नैनखेडी थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. *उ0नि0 श्री विवेक वैद्यवान थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर*
2. *है0का0 570 योगेन्द्र कुमार थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर*
3. *रि0का0 1901 सौरभ सिंह थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर*
4. *रि0का0 1930 नरेश कुमार थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर*

दिनांक -23.09.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नानौता पुलिस द्वारा वाहन चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए 03 शातिर वाहन चोर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे/निशानदेही पर चोरी की 02 मोटरसाइकिल, 03 देशी तमंचे .315 बोर व 03 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद

घटना का विवरणः-

1. दिनांक 19.09.2026 को वादी श्री मोहित कुमार पुत्र पदम सिंह निवासी ग्राम ठोल्ला फतेहपुर थाना तीतरो जनपद सहारनपुर ने थाना उपस्थित आकर एक तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी वादी की मोटरसाईकिल नं0 UP11 BW 5105 व चैसिस नंम्बर MBUAR036K9B12366 इंजन नंम्बर JA05E G K9V12731 को सीएचसी नानौता परिसर से चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना नानौता पर मु0अ0स0 238/26 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत कराया गया।
2. दिनांक 22.09.2026 को वादी फरीद पुत्र नसीम निवासी मौ0 छत्ता कस्बा व थाना नानौता जनपद सहारनपुर ने थाना उपस्थित आकर एक तहरीर अज्ञात चोर द्वारा वादी के पिता की मोटरसाईकिल नं0 UP11AN2492 को वादी के घर के सामने से चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना नानौता पर मु0अ0स0 242/26 धारा 305(3) बीएनएस पंजीकृत कराया गया।

पुलिस कार्यवाहीः- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में वाहन चोरी/नकबजनी आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग व गश्त की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री विकास चारण के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 23.09.2026 मे मुखबिर की सूचना पर थाना नानौता पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान मुकदमा उपरोक्त में वाहन चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते **हुए 03 शातिर वाहन चोर/अभियुक्तगण 1.सोबान पुत्र रिजवान निवासी मौ0 कुरैसियान थाना गंगोह जनपद सहारनपुर, 2. सारिक पुत्र जिन्दाहसन निवासी ग्राम फतेहपुर ढोल्ला थाना गंगोह जनपद सहारनपुर व 3. साजिद उर्फ मुखिया पुत्र राशिद उर्फ भूरा निवासी मौ0 गुलाम ओलिया थाना गंगोह जनपद सहारनपुर** को गंगोह रोड से कुतुबपुर जाने वाले रजबाहे की पटरी से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से मुकदमा उपरोक्त में चोरी गयी 02 मोटरसाइकिल, 03 देशी तमंचे .315 बोर व 03 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुए। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 238/25 मे धारा 317(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी। बरामदगी के आधार पर उपरोक्त मुकदमों में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध विधिक कार्यवाही हेतु हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. सोबान पुत्र रिजवान निवासी मौ0 कुरैसियान थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
2. सारिक पुत्र जिन्दाहसन निवासी ग्राम फतेहपुर ढोल्ला थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

3. साजिद उर्फ मुखिया पुत्र राशिद उर्फ भूरा निवासी मौ0 गुलाम ओलिया थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

- मोटर साईकिल सुपर स्पैलण्डर रंग रैड ब्लैक रजि0 नं0 UP11BW5105 (संबंधित मु0अ0सं0 238/26 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस
- मोटर साईकिल स्पेलण्डर प्लस रंग जीबीके रजि0 नं0 UP11AN2492 (संबंधित मु0अ0सं0 242/26 धारा 305(3)/317(2) बीएनएस
- 01 तमंचा .315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर अभियुक्त सोबान उपरोक्त से बरामद
- 01 तमंचा .315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर अभियुक्त सारिक उपरोक्त से बरामद
- 01 तमंचा .315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर अभियुक्त साजिद उर्फ मुखिया उपरोक्त से बरामद

अभियुक्त सोबान का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 622/25 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना गगोह जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 238/26 धारा 303(2 व 3/25)/317(2) बीएनएस आर्मस एक्ट थाना नानौता जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 242/26 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना नानौता जनपद सहारनपुर

अभियुक्त सारिक का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 458/16 धारा 323/325/504/506 बीएनएस थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 619/16 धारा 379 बीएनएस थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 47/25 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 48/17 धारा 392/411/504/506 भादवि थाना नानौता जनपद सहारनपुर
5. मु0अ0सं0 76/17 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना नानौता जनपद सहारनपुर
6. मु0अ0सं0 238/26 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस व 3/25 आर्मस एक्ट थाना नानौता जनपद सहारनपुर
7. मु0अ0सं0 242/26 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना नानौता जनपद सहारनपुर

अभियुक्त साजिद का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 622/25 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना गगोह जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 238/26 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस व 3/25 आर्मस एक्ट थाना नानौता जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 242/26 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना नानौता जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. थानाध्यक्ष श्री विकास चारण थाना नानौता जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 जसपाल सिंह थाना नानौता जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री जयवीर सिंह थाना नानौता जनपद सहारनपुर
4. है0का0 106 विक्रान्त मान मय थाना नानौता जनपद सहारनपुर
5. है0का0 459 मोहसीनथाना नानौता जनपद सहारनपुर
6. रि0का0 1796 मनोज कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर
7. रि0का0 1730 विषेश थाना नानौता जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक- 23.09.2026

थाना बेहट पुलिस द्वारा अवैध खनन परिवहन पर शिकंजा कसते हुए, 02 वाहनों को बिना प्रपत्रो के उपखनिज के साथ किया गया जब्त

अवगत कराना है कि जिलाधिकारी सहारनपुर व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा अवैध खनन परिवहन पर अंकुश लगाने हेतु टास्क फोर्स गठित कर लगातार अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, सहारनपुर के निर्देशन में एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक श्री जितेन्द्र सिंह दीखित के कुशल नेतृत्व में थाना क्षेत्र में लगातार पिकेट व चैकिंग टीमें लगाकर अवैध खनन परिवहन करने वालों पर कडी कार्यवाही की जा रही है। कार्यवाही के क्रम में दिनांक 21/22.09.2026 की रात्रि में श्रीमान क्षेत्राधिकारी बेहट व प्रभारी निरीक्षक बेहट मय पुलिस टीम द्वारा उच्चाधिकारीगण के निर्देशो के क्रम मे अवैध खनन रोकथाम हेतु धौलाकुआ रोड पर चैकिंग की जा रही थी औचक चैकिंग के दौरान 02 ट्रक (1. गाड़ी नंबर UP11CT8777 2. गाड़ी नंबर UP11DT0664) को बिना वैध प्रपत्रों के उपखनिज का परिवहन करते हुए पकडा गया। उक्त ट्रकों को मय उपखनिज के थाना स्थानीय पर दाखिल किया गया तथा अग्रिम कार्यवाही के लिये उच्चाधिकारीगण को रिपोर्ट प्रेषित की जा रही है।

कार्यवाही का विवरणः-

- *ट्रक UP11CT8777 बिना प्रपत्र*
- *ट्रक UP11DT0664 बिना प्रपत्र*

वाहन जब्त करने वाली टीम का विवरणः-

1- क्षेत्राधिकारी बेहट, श्री शशिप्रकाश शर्मा
2- प्रभारी निरीक्षक श्री जितेन्द्र सिंह दीखित थाना बेहट जनपद सहारनपुर
3- उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार थाना बेहट, जनपद सहारनपुर
4- है0का0 448 शिवकुमार थाना बेहट, जनपद सहारनपुर
5- रि0का0 448 पंकज कुमार थाना बेहट, जनपद सहारनपुर

दिनांक- 23.09.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा कानून एवं शान्ति व्यवस्था भंग की आशंका के दृष्टिगत 01 अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर श्री राजीव कुमार कौशिक के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 23.09.2026 को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा चैकिंग व गश्त के दौरान 01 अभियुक्त ***1. नौशाद पुत्र स्व0 शहीद अहमद निवासी मौ0 किला नबाबगंज आबकारी के सामने थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर उम्र करीब 38 वर्ष रोड पर खडा होकर सरेराह लड़ाई झगडा आमदा फसाद तथा गाली गलौच कर रहा था,*** *को कानून एवं शान्ति व्यवस्था भंग की आशंका के दृष्टिगत मौहल्ला किला नबाबगंज से गिरफ्तार किया गया। उक्त अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

नौशाद पुत्र स्व0 शहीद अहमद निवासी मौ0 किला नबाबगंज आबकारी के सामने थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

1. *उ0नि0 अरूण कुमार मय हमराह थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।*
2. *का0 2421 ब्रजेश कुमार थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।*

दिनांक: 23-09-2026

-प्रेस नोट-

मिशन शक्ति 5.0
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बड़गांव मिशन एण्टीरोमियो टीम द्वारा सड़क पर आने-जाने वाली बालिकाओं/महिलाओं पर अश्लील टिप्पणी करने वाले 02 मनचले अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान फेज-5 द्वितीय चरण के अन्तर्गत महिला सम्बन्धी अपराध की रोकथाम हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार चेकिंग व जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है । इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री नरेन्द्र भड़ाना के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 23.09.2026 को थाना बड़गांव मिशन शक्ति एण्टीरोमियो टीम द्वारा चेकिंग के दौरान जनता इण्टर कालिज ग्राम अम्बेहटा चांद मे आने जाने वाले महिलाओ एव बालिकाओ पर अश्लील फब्तियाँ कंसने वाले ***02 मनचले अभियुक्तगण 1- जयपाल सिंह पुत्र रमेशचन्द निवासी ग्राम रामपुर रायघटी थाना लक्सर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड*** *व* ***2- सुमित पुत्र कृपाल सिंह निवासी ग्राम रामपुर रायघटी थाना लक्सर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड*** *को जनता इण्टर कालेज ग्राम अम्बेहटा चांद से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना बड़गांव पर मु0अ0सं0 245/26 धारा 296 बीएनएस पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा*

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पताः-

1- जयपाल सिंह पुत्र रमेशचन्द निवासी ग्राम रामपुर रायघटी थाना लक्सर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड

2- सुमित पुत्र कृपाल सिंह निवासी ग्राम रामपुर रायघटी थाना लक्सर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड

गिरफ्तार करने वाली पुलिस बल

1- श्री नरेन्द्र भडाना थानाध्यक्ष थाना बडगांव जनपद सहारनपुर ।
2- म0हे0कां0 1227 अन्जू सोम थाना बडगांव जनपद सहारनपुर
3- म0कां0 589 प्रीति थाना बडगांव जनपद सहारनपुर ।

-प्रेस नोट-

दिनांकः23.09.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबंद पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 देशी तमंचा पोना 315 बोर बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अवैध शस्त्र की बिक्री/तस्करी की रोकथाम हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जिसके अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबंद के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संदीप बालियान के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 23.09.2026 को थाना देवबंद पुलिस टीम द्वारा गस्त व चैकिग के दौरान अभियुक्त ***आदेश सैनी पुत्र राजकुमार निवासी मौहल्ला शास्त्री चौक कस्बा व थाना देवबन्द जिला सहारनपुर*** *को गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 01 अवैध देशी तमचा पोना 315 बोर बरामद हुआ । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना देवबंद पर मु0अ0सं0 689/26 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफअतार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः-

आदेश सैनी पुत्र राजकुमार निवासी मौहल्ला शास्त्री चौक कस्बा व थाना देवबन्द जिला सहारनपुर ।

बरामदगी का विवरणः-

- *01 देशी तमंचा पोना 315 बोर*

पुलिस टीम का विवरणः-

1. *उ0नि0 लोकेन्द्र सिंह थाना देवबन्द जिला सहारनपुर ।*
2. *का0 2078 सतेन्द्र कुमार थाना देवबन्द जिला सहारनपुर ।*
3. *का0 660 मौ0 शानिव थाना देवबन्द जिला सहारनपुर ।*

दिनांकः 23.09-2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली मण्डी पुलिस द्वारा मात्र 35 मिनट मे गुमशुदा मोबाइल को तलाश कर किया गया वादिया के सुपुर्द

घटना का विवरणः-

*दिनांक 23.09.2026 को वादिया शुभाँगी गोयल पत्नी सक्षम गोयल निवासी अग्रवाल निवास शिवपुरी कालोनी तोता चौक भूतेश्वर मन्दिर रोड थाना मण्डी सहारनपुर द्वारा अपने मोबाइल फोन **OPPO A9** को वादिया के घर से गुलशन आईस्क्रीम पार्लर के बीच गुम हो जाने के संबंध में लिखित तहरीर दी गई। जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली मण्डी पर मोबाइल गुमशुदा संपत्ति रिपोर्ट दर्ज की गई।*

पुलिस कार्यवाहीः-

*वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम तथा कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग व गश्त की जा रहा है । इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक थाना मण्डी श्री वीरेन्द्र सिंह राणा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 23.09.2026 को थाना मण्डी पुलिस द्वारा चेकिंग एवं गश्त के दौरान **मात्र 35 मिनट के अन्दर उपरोक्त के गुमशुदा मोबाइल फोन को त्वरित कार्यवाही करते हुए तलाश कर सकुशल वादिया के सुपुर्द** किया गया । मोबाइल फोन वापस पाकर वादिया एवं उसके परिजनों द्वारा थाना मण्डी पुलिस टीम का आभार व्यक्त किया गया ।*

बरादमगी करने वाली पुलिस टीम–

1. प्रभारी निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह राणा थाना मण्डी सहारनपुर ।
2. उ0नि0 श्री उदित गंगवार थाना मण्डी सहारनपुर ।
3. म0 है0का0 494 अर्चना थाना मण्डी सहारनपुर ।
4. म0का0 2127 शिखा थाना मण्डी सहारनपुर ।
5. म0का0 1680 चित्रा थाना मण्डी सहारनपुर ।